पंजाब की समस्या

(सिक्ख माँगों का विश्लेषण)

प्रो० जसपाल सिंह

प्रवक्ता, राजनीति-शास्त्र
श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कालेज, नई दिल्ली-5
(दिल्ली विश्व विद्यालय)

प्रकाशक

अकाली दल दिल्ली स्टेट

खालसा पंथ का राजनीतिक उद्देश्य :—

पंथ का राजनीतिक उद्देश्य निश्चित तौर पर साहिब दशम पातशाह के आदेशों, सिक्ख इतिहास के पन्नों और खालसा पंथ के मन मंदिर में अंकित चला आ रहा है। जिसका अर्थ "खालसा जी के बोल वाले है"। खालसा जी के जन्मसिद्ध अधिकार को मूर्तिमान करने के लिए आवश्यक देश, काल और राजनीतिक विधान की सृजन-प्राप्त शिरोमणी अकाली दल के बुनियादी ढांचे की नींव है।

(प्रस्ताव—आनन्दपुर साहिब)

सिक्ख पंथ का आर्थिक प्रोग्राम :—

(१) मेहनत का सम्मान करना।

(२) ऐसे आर्थिक और सामाजिक न्याय का प्रबन्ध, जिसमें समाज के दबे-कुचले लोगों को ऊंचा उठाने की व्यवस्था हो।

(३) पूंजीवादी लोगों के पास आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के एकत्र होने के विरुद्ध लगातार संघर्ष करना।

(प्रस्ताव—आनन्दपुर साहिब)

सिक्ख पंथ का शिक्षा के क्षेत्र में उद्देश्य :—

शिरोमणी अकाली दल सिक्ख कौम को एक मजबूत, पढ़ी-लिखी, सुदृढ़, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक, अलग-अलग कलाओं में प्रवीण और उनकी कदरदान देखना चाहता है।

(प्रस्ताव—आनन्द पुर साहिब)

"पंजाब की समस्या"

सिक्ख माँगों का विश्लेषण

पंजाब की आन्तरिक परिस्थितियों और इसकी आन्तरिक बेचैनी से आज सही दृष्टिकोण वाले हर पंजाबी का, चाहे वह दुनियाँ के किसी भी हिस्से में रहता हो, दिल दुखी है। इस दुःख से प्रत्येक भारतवासी भी प्रभावित है और पंजाब की समस्या का तुरन्त समाधान चाहता है। क्योंकि, उसको पता है कि पंजाब में फैली आग की लपटें सारे देश को झुलसा सकती हैं और इसके अस्तित्व को भी खतरे में डाल सकती हैं। कुछ ऐसी शक्तियाँ भी, जो देश की एकता और अखण्डता की दुश्मन हैं, इन परिस्थितियों से लाभ उठाना चाहती हैं।

मोर्चे की पृष्ठ-भूमि :

पंजाब की कुछ उचित और न्यायपूर्ण मांगों का न स्वीकार किया जाना ही पंजाब की समस्या का मूल कारण है। इन मांगों में बहुत सी ज्यों की त्यों वैसी ही हैं जैसी देश के अन्य प्रान्तवासी अपने लिए माँगते रहे हैं और उनको मनवाने में सफल भी हुए हैं। पंजाब पुनर्गठन के समय जो पंजाबी भाषा-भाषी इलाके पंजाब से बाहर, रखकर दूसरे साथ लगते प्रान्तों में मिला दिए गए हैं, उनको पंजाब में फिर से शामिल करना—दूसरे प्रान्तों के समान ही पंजाब की नदियों के पानी में पंजाब के न्यायपूर्ण और सही हिस्से को पंजाब को देना—पंजाब के

बिजली उत्पादन और दूसरे प्रोजक्टों को, जो पंजाब की उन्नति और व्यापार के लिए जरूरी है, पंजाब के अधिकार में देना—चण्डीगढ़ शहर को, जो पंजाब की राजधानी के रूप में ही निर्मित किया गया था, पंजाब को देना और प्रान्तों तथा केन्द्र के अधिकारों को पुनः निर्धारित करना, ताकि प्रान्त अधिक और उचित अधिकारों से अपने विकास को और तेज कर सके, जिसके द्वारा समूचे देश का विकास और भी तेज हो सके । ये माँगें प्रत्येक सही चिन्तन वाले व्यक्ति की निगाह में उचित हैं और स्वीकार भी की जानी चाहिए । ये अभी तक स्वीकार भी हो जातीं अगर केन्द्र की सरकार अपने संकीर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण को त्याग देती तथा सरकार के मुखिया अपने और अपनी पार्टी के निजी राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर विचार करते और निर्णय लेते ।

पर अफसोस, कि बहुत सी साम्प्रदायिक ताकतें अकाली दल द्वारा इन मांगों को प्राप्त करने के लिए चलाए जा रहे मोर्चे को एक वर्ग का मोर्चा कहकर जो रंग चढ़ा रहे हैं, वे न केवल इस समस्या का हल नहीं होने दे रही है बल्कि सदियों पुराने हिन्दू-सिख भ्रातृ भाव के सारे वातावरण को गन्दा कर रही है । यह ठीक है कि सिक्खों की कुछ अपनी धार्मिक माँगें भी हैं जो कि उनके अपने धार्मिक विश्वासों पर आधारित हैं तथा जो भारत के विधान द्वारा हर धर्म को दिए गए अधिकारों के अनुकूल हैं । परन्तु इन माँगों को भी कुछ संकीर्ण दृष्टि कोण वालों और हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान का नारा लगाने वाले लोगों ने साम्प्रदायिकता का रंग चढ़ादिया है ।

दुनियाँ के अनेक देशों की तरह भारत भी एक बहु-भाषी, बहु-धर्मी और बहुजातीय देश है । संविधान के अनुसार देश की प्रत्येक भाषा, धर्म और उसको मानने वाले प्रत्येक समूह को फलने-फूलने अर्थात् विकसित होने के बराबर के अधिकार हैं । इतिहास गवाह है कि देश के विभाजन के समय सिक्खों के लिए भी पाकिस्तान की तरह अलग धरती की पेशकश हुई थी पर मानवी एकता वाले धर्म के समर्थकों ने इस बहु-धर्मी, बहु-भाषी और बहुजातीय भारत देश के साथ ही रहने का फैसला किया और इस देश की स्वतन्त्रता के लिए अल्पसंख्यक होते हुए भी दूसरों से कहीं ज्यादा कुर्बानियाँ दीं ।

पर अफसोस और दुःख की बात है कि इस भारत देश में जहाँ कम संख्या वाले सिख, देश की उन्नति के लिए जी-जान से व्यस्त हैं तथा हर प्रकार

की कुर्बानी कर रहे हैं, वहाँ कुछ सम्प्रदायवादियों ने इस देश के धर्मनिरपेक्ष स्वभाव को नष्ट करने का बीड़ा उठा रखा है।

केन्द्रीय सरकार के नेताओं ने भी अपने छोटे राजनीतिक हितों को मुख्य रखते हुए सम्प्रदायवादियों की आवाज में बोलना और काम करना शुरू कर दिया है ताकि हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं को उभार कर उनके वोटों को अपने हक में कर लिया जाए। अभी हाल में कश्मीर में भी ऐसी ही चाल चली गई हैं। प्रचार-साधनों द्वारा हिन्दू सिखों में नफरत का बीज बोया जा रहा है। अमृतधारी सिक्खों पर अत्याचार हो रहा है। सिक्ख युवकों को उग्रवादी कहकर झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है तथा झूठे पुलिस-मुकाबले दिखाकर कत्ल किया जा रहा है। बिना खोज बीन किए पंजाब में होने वाली हर असामाजिक घटना जैसे चोरी, डाके और कत्ल आदि, इनके सर थोपी जा रही है, तथा सिक्खों के प्रति घृणा फैलाई जा रही है। सिख-जगत के धार्मिक मार्गदर्शक संत जरनैल सिंह जी 'खालसा' भिंडरावाले, जिनका मुख्य उद्देश्य सिखों को अपने धार्मिक नियमों में परिपक्व करना ही है, को इस साजिश का मुख्य निशाना बनाया जा रहा है।

धर्म-युद्ध मोर्चा

इस जुल्म और सितम की अन्धेरी ने सम्पूर्ण सिक्ख पंथ को ललकार दी और संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावालों ने सिक्खी स्वरूप की रक्षा के लिए 19 जुलाई 1982 को श्री अकाल तख्त साहिब से इक्यावन-इक्यावन सिक्खों के जत्थे भेजने शुरू कर दिए।

चार अगस्त 1982 को संत जरनैल सिंह भिण्डरवाले और अकाली नेताओं ने शिरोमणि अकाली दल के प्रधान संत हरचन्द सिंह लोंगोवाल को धर्मयुद्ध मोचे का डिक्टेटर बना दिया। सितम्बर में जत्थेदार जगदेव सिंह तलवन्डी आनन्दपुर में निश्चित किए गए प्रस्ताव के लिए लगाए गए दिल्ली मोर्चे को छोड़कर धर्मयुद्ध मोर्चे में शामिल हो गए। पंथ की एकता उस समय बहुत मजबूत हुई, जब जत्थेदार सन्तोख सिंह द्वारा बनाया गया शिरोमणी अकाली दल (मास्टर तारा सिंह) अपने नेता जत्थेदार हरबंस सिंह फन्टियर और सरदार अवतार सिंह (आटोपिन) के फैसले के अनुसार अपने सहयोगियों और कार्य-कर्ताओं सहित शिरोमणी अकाली दल अमृतसर में शामिल हो गया।

निस्सन्देह सिख एकता के इन प्रयत्नों और संत हरचन्द सिंह लोंगोवाल की दूर-दृष्टता और नेतृत्व ने धर्मयुद्ध मोर्चे की शक्ति को शिखर पर पहुँचा दिया है।

मुख्य मांगें

हमारे निशाने स्पष्ट हैं, इसलिए यह जरूरी है कि आम लोगों को भी धर्मयुद्ध के मुख्य उद्देश्यों और जिन मांगों को मुख्य रखकर मोर्चा लगाया गया है उनकी स्पष्ट और विस्तृत जानकारी हो। अकाली दल की तरफ से जिन मांगों की पूर्ति के लिए संघर्ष चल रहा है उनमें से कुछ सिक्खों की धार्मिक मांगें हैं जो भारत के संविधान की भावना के अनुकूल हैं तथा कुछ राजनीतिक और क्षेत्रीय मांगें हैं जो दूसरे प्रान्तों की मांगों जैसी हैं।

जहाँ तक आनन्दपुर साहिब के प्रस्ताव का सम्बन्ध है, उसमें लगभग उन सभी मांगों का विस्तार से जिक्र हुआ है। आनन्दपुर साहिब का प्रस्ताव तथा और मुख्य मांगें इस प्रकार है :—

आनन्दपुर साहिब का प्रस्ताव

आनन्दपुर साहिब के प्रस्ताव के बारे में लोगों में भ्रम डालने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इस प्रस्ताव को अलगाववादी, उग्रवादी और भारत की एकता और अखण्डता के लिए खतरा कह कर लोगों की मोर्चे के प्रति जो सहमति और समर्थन है, उसको ठेस पहुँचाई जा रही है।

वास्तव में आनन्दपुर साहिब का प्रस्ताव शिरोमणी अकाली दल की वरकिंग कमेटी ने 16, 17 अक्टूबर 1973 को श्री आनन्दपुर साहिब की पावन धरती पर हुई एकत्रित जनसभा में पास किया जो बाद में 28 अगस्त 1977 को अकाली दल की जनरल इजलास में स्वीकार हुआ। इस प्रस्ताव का विस्तार इस प्रकार है—

1— प्रस्ताव का पहला अंक धर्म से सम्बंधित है, जिसमें कहा गया है कि— 'अकाली दल सिखों में धर्म-भाव पैदा करना और उनमें सिख होने पर गर्व पैदा करना अपना मुख्य मनोरथ समझता है।'

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रस्ताव में जिन साधनों के प्रयोग का जिक्र है, वे इस प्रकार हैं—वाहे गुरु की उच्च हस्ती का प्रचार करना, दस गुरू साहिबान और श्री गुरु ग्रन्थ साहिब पर दृढ़ विश्वास करवाना'

गुरुमत सिख-फलसफा, रहत मर्यादा और कीर्तन आदि के प्रचार के लिए मिशनरी कालेज में अच्छे रागी, ढाडी, कविवर पैदा करना, अमृत प्रचार का प्रबन्ध करना, सिखों में दसबन्द का रिवाज दुबारा जागृत करना, सिख विद्वानों, लेखकों, प्रचारकों, ग्रन्थियों आदि का सिख कौम द्वारा अधिक से अधिक आदर करने के लिए प्रचार करना, गुरूद्वारा प्रबन्ध को सुधारना, गुरुवाणी का भिन्न-भिन्न भाषाओं में शुद्ध छपाई का प्रबन्ध करना, आल इंडिया गुरुद्वारा ऐक्ट बनवाने के लिए प्रयत्न करना, श्री ननकाना साहिब तथा और गुरुद्वारों जिनसे सिखों को विछोडा गया है उनके दर्शन-दीदार और सेवा-संभाल का प्रबन्ध प्राप्त करने का यत्न करना।

2— प्रस्ताव के दूसरे भाग में राजनीतिक निशाने का जिक्र इस प्रकार है— 'पंथ का राजसी निशाना निश्चित तौर पर साहिब दशम पातशाह के आदेशों, सिख इतिहास के पन्नों और खालसा पंथ के 'मन मन्दिर' में अंकित चला आ रहा है। जिसका मतलब "खालसा जी के बोलबाले हैं।' खालसा जी के जन्म सिद्ध अधिकार को मूर्तिमान करने के लिए आवश्यक देश, काल और राजसी विधान की सृजन-प्राप्त शिरोमणी अकालीदल के बुनियादी ढाँचे की नींव है।"

राजसी निशानों की पूर्ति के लिए शिरोमणी अकाली दल हर संभव तरीके से संघर्ष करेगा कि पंजाब से बाहर रह गए पंजाबी बोलते इलाके पंजाब में शामिल किये जायें, पंजाब तथा देश के और प्रान्तों में केन्द्र का दखल केवल डिफैन्स, विदेशी मामलों, तार, डाक, रेलवे और करेंसी के विभागों तक सीमित हो तथा बाकी सारे विभाग पंजाब और अन्य प्रान्तों के अपने अधिकार में हों। पंजाब से बाहर बसने वाले सिखों तथा और धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों की सुरक्षा के प्रबन्ध किये जायें, हिन्दुस्तान का विधान सही अर्थों में फेडरल बनाया जाये, इत्यादि।

3— आर्थिक क्षेत्र में आनन्दपुर के प्रस्ताव के अनुसार अकाली दल चाहता है कि ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में अमीर गरीब में अंतर समाप्त किया जाए। इस आर्थिक प्रोग्राम के तीन अंग हैं :—

(अ) मेहनत का सम्मान

(आ) ऐसे आर्थिक और सामाजिक न्याय का प्रबन्ध जिसमें समाज के दबे कुचले लोगों को ऊंचा उठाने का प्रबन्ध हो।

(इ) पूंजीवादी लोगों के पास आर्थिक और राजसी ताकत के इकट्ठे होने के विरुद्ध लगातार संघर्ष करना।

4— आनन्दपुर के प्रस्ताव का चौथा भाग शिक्षा और सभ्यता के क्षेत्र से सम्बन्धित है। इस क्षेत्र में शिरोमणि अकाली दल सिख कौम को एक मजबूत, पढ़ी लिखी, सुदृढ़' अपने अधिकारों के प्रति जागरूक, अलग-अलग कलाओं में प्रवीण और उनकी कद्रदान देखना चाहता है।

धार्मिक मांगें

शिरोमणि अकाली दल की ओर से जो मांगों का चार्टर बनाया गया है उसमें कुछ माँगें धर्म से सम्बन्धित हैं जो इस प्रकार हैं—

1. आल इंडिया गुरुद्वारा ऐक्ट बनाया जाये।
2. सिखों को हवाई जहाज के सफर में कृपाण ले जाने की स्वतन्त्रता हो।
3. विदेशों में बसे सिक्खों को गुरुबाणी से जोड़ने के दरबार साहिब अमृतसर में हाई पावर ट्रान्समीटर की स्थापना की जाए।
4. अमृतसर शहर में से सिगरेट तम्बाकू की दुकानें उठाई जायें और इसको पवित्र शहर का दर्जा दिया जाये।

श्रीमती इन्दिरा गांधी ने धार्मिक मांगों के बारे में एक दिन अचानक गुरुद्वारा बंगला साहिब में आकर एक पक्षीय फैसला सुना दिया और कहा कि सरकार धार्मिक मांगें मानने को तैयार है पर ऑल इण्डिया गुरुद्वारा ऐक्ट के बारे में कोई निर्णय जल्दी में नहीं लिया जा सकता क्योंकि इसके सारे पक्षों पर विस्तार से विचार किया जाना है। हवाई सफर में कृपाण के बारे में सिक्खों की मांग थी कि कृपाण पर पाबन्दी न हो पर हिन्द सरकार की ओर से श्रीमती इन्दिरा गांधी ने यह ऐलान करके कि कृपाण की लम्बाई 9 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए, वास्तव में कृपाण पर पाबन्दी लगा दी। इसी तरह कीर्तन प्रसारित करने के लिए ट्रांसमीटर की मांग के बारे में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा कि जालन्धर रेडियो से डेढ़ घंटा कीर्तन प्रसारित करने का इंतजाम किया जायेगा। जालन्धर से कीर्तन प्रसारित करने की मांग न तो सिक्खों ने की थी

और न ही सिक्ख इस ऐलान को मानने के लिए तैयार हैं। अमृतसर को पवित्र शहर का दर्जा देने के बारे में यह कहा गया कि दो सौ गज के दायरे में से तम्बाकू सिगरेटों की दुकानें उठा दी जायेंगी। यह भी एक मजाक के समान था। इसमें कोई शक नहीं कि यह एक पक्षीय ऐलान वास्तव में सिक्खों को गुमराह करने और उनमें अस्थिरता का माहौल पैदा करने के लिए किया गया था।

ऑल इण्डिया गुरुद्वारा ऐक्ट :

सैकड़ों सिक्खों की शहीदियों, लाठियों, गोलियों, अश्रु गैस की मार तथा अन्य कष्ट सहने के बाद 1925 में अंग्रेजी सरकार ने पंजाब सिक्ख गुरुद्वारा ऐक्ट बनाया और सिक्ख धर्म-स्थानों को उन महन्तों से मुक्त करवाया जो धर्म-कर्म भुलाकर स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए थे और गुरुधामों को निजी डेरे समझने लग पड़े थे। ऑल इण्डिया गुरुद्वारा एक्ट बनाने के लिए भी पंथ लम्बे समय से संघर्ष कर रहा है। इस एक्ट का मुख्य मंतव्य सारे ऐतिहासिक गुरुद्वारों की मर्यादा में एकरूपता लाना है। देखने में आया है कि सिखों के पांचों तख्त-साहिबान की मर्यादा एक जैसी नहीं है। गुरुद्वारा साहिबान की मर्यादाओं में समानता लाने कि लिए एक केन्द्रीय संस्था की आवश्यकता है। कुछ अनजोन व्यक्यि इस शक को प्रगट करते है कि ऑल इण्डिया गुरुद्वारा ऐक्ट बन जाने से अलग अलग प्रान्तों में गुरुद्वारों पर वहां के स्थानीय सिक्खों का प्रबंध में कोई हिस्सा नहीं रह जायेगा। ऐसा सोचना और करना प्रबन्ध की दृष्टि से न ही संभव है और न ही योग्य।

वास्तव में ऑल इण्डिया गुरुद्वारा ऐक्ट पास करना तथा उसके अधीन एक केन्द्रीय संस्था की स्थापना समूचे सिख पंथ में एकता और सम्पूर्ण सिक्ख धर्म स्थानों की मर्यादा में समानता लाने के लिए जरूरी है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि ऑल इण्डिया गुरुद्वारा ऐक्ट बनाने वाली मांग धार्मिक मांगों में से प्रमुख मांग है। पिछले काफी समय से इस उपलक्ष्य में संघर्ष भी चला आ रहा है पर सरकार ने अब तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि हमेशा यह कहकर टालती रही है कि ऑल इण्डिया गुरुद्वारा एक्ट बनाने से पहले पंजाब से बाहर के सिक्खों की राय लेनी जरूरी है। इस प्रकार हमेशा सिक्खों को दो हिस्सों में बाँटने की कोशिश की जाती रही है—एक वे जो पंजाब में रहते हैं और दूसरे वे जो पंजाब से बाहर रहते हैं।

पर अब जबकि पंजाब से बाहर की बड़ी गुरुद्वारा कमेटियों तथा सिक्ख संगठनों ने भी ऑल इण्डिया गुरुद्वारा एक्ट बनाने के हक में प्रस्ताव पास कर दिये हैं, सरकार के पास कोई बहाना नहीं रह जाता कि इस समस्या को और लटकाया जाये। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी, पटना साहिब कमेटी, पोंटा साहिब कमेटी, हजूर साहिब कमेटी, बम्बई और कलकते की गुरुद्वारा कमेटियों ने इस एक्ट के हक में प्रस्ताव पास कर दिये हैं। सरकार को अब इस समस्या में सिक्खों की भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए और इस विषय को जल्दी सुलझाने का यत्न करना चाहिए।

क्षेत्रीय मांगें

देश की आजादी के बाद जब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था तो पंजाब के साथ उस समय बहुत बड़ा धोखा हुआ। पंजाबी भाषा के आधार पर पंजाबी सूबा बनाने के लिए किसी नये विधान या कानून की आवश्यकता नहीं थी, न ही पंजाबी सूबा बनने से देश या देश के किसी और प्रान्त का नुकसान था पर इस विषय को जानबूझ कर इतना उलझाया गया कि पूरे भारतवर्ष की शांति खतरे में पड़ गई। एक ओर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था, दूसरी ओर पंजाबी के आधार पर पजाबी सूबे की बात करने वालों पर तरह तरह की पाबन्दियां लगा दी गई थीं। अनगिनत गिरफ्तारियां और कुर्बानियों के बाद पंजाबी प्रान्त बनाने का ऐलान किया गया। परन्तु भारतीय शासकों ने अपने संकीर्ण दृष्टिकोण के अनुसार पंजाब की क्षेत्रीय सीमा को छोटे से छोटा करने की भरपूर कोशिश की। पंजाबियों और विशेष तौर पर सिक्खों के दिलों को ठेस पहुँचाने के लिए और उनके हितों को कुर्बान करने के लिए बहुत सारे पंजाबी बोलते इलाके पंजाब में शामिल नहीं किये गये।

जो इलाके पंजाब से तोडकर जानबूझ कर पंजाब से बाहर रखे गये हैं वे मुख्य तौर पर इस प्रकार हैं :—गुरुदासपुर में से डलहौजी, होशियारपुर जिले की सारी ऊना तहसील, बालागढ का देश नामक इलाका, करनाल जिले का शाहबाद ब्लाक, मूहला-ब्लाक तथा हिसार जिले का टोहाना सब तहसीलें, रतिया ब्लाक और सरसा की तहसील, राजस्थान ओर गंगा नगर के जिले की 6 तहसीलें तथा इनके साथ लगते पंजाबी बोलते सिक्ख आबादी वाले और सारे इलाके। शिरोमणि अकाली दल ने इन सारे इलाकों को पंजाब में शामिल करने के लिए संघर्ष आरम्भ किया हुआ है।

पंजाब की नदियों के पानी की समस्या

गत वर्ष अन्न भण्डार में 660 लाख टन अनाज पहुंचा था, जिसमें अकेले पंजाब ने 90 लाख टन अनाज अन्न भण्डार में दिया। पंजाब की पैदावार हर वर्ष बढ़ रही है। पंजाबी किसान जहाँ अत्यधिक मेहनत करके पैदावार बढ़ाने की कोशिश करता है, वहां वह नवीनतम तकनीकी यंत्रों का प्रयोग भी करता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि जितने ट्रैक्टर पंजाब में हैं, उतने बाकी सारे भारत में नहीं हैं। परन्तु देश के अन्न भण्डार में इतना हिस्सा डालने वाले और देश को अन्न के क्षेत्र में स्वनिर्भर कराने वाले पंजाब के साथ बिल्कुल भेदभाव वाला व्यवहार किया जा रहा है। उसके इलाके उससे छीनने के अतिरिक्त उनका पानी दूसरे प्रान्तों में बांट दिया गया, उसके बाँध छीन लिए गये और उसके पानी से उत्पन्न बिजली में भी उसका हिस्सा बहुत घटा दिया गया।

जहाँ तक पानी की समस्या का प्रश्न है—स्वीकृत अन्तर्राज्यीय नियमानुसार जो राज्य जिस नदी की घाटी में आता है, उस नदी के पानी का अधिकारी वही राज्य होता है। इस कानून के अनुसार सिन्धु नदी की घाटी के पानी पर पंजाब का अधिकार है। इसी तरह हरियाणा राज्य का गंगा नदीं की घाटी की नदी यमुना के पानी पर पूर्ण अधिकार है। स्पष्ट तौर पर अगर यह कहा जाये कि पंजाब का यमुना के पानी पर और हरियाणा राज्य का सिन्धु घाटी के पानी पर कोई अधिकार नहीं, तो यह गलत नहीं होगा।

परन्तु पंजाब के बंटवारे के बाद जान बूझकर एक नई बहस शुरू की गई कि हरियाणा क्योंकि पुनर्गठन से पहले पंजाब का हिस्सा था, इसलिए पंजाब के पानी में से उसको हिस्सा मिलना चाहिए। अगर यह मान भी लिया जाये तो भी पंजाब और हरियाणा दोनों प्रान्तों में से गुजरने वाली नदियों के पानी के बंटवारे के लिए एक जैसा फार्मूला ही बनाना चाहिए था। पर पानी के बंटवारे के लिए ऐसे फार्मूले बनाये जाते रहे हैं, जिससे पंजाव के साथ अन्याय का एक नयां रूप सामने आता है।

पंजाब के पुनर्गठन से पहले रावी व्यास के कुल 70 लाख एकड़ फुट पानी में से 50 लाख एकड़ फुट पानी बर्तमान पंजाब तथा 20 लाख एकड़ फुट पानी हरियाणा प्रयोग में लाता था। अगर न्यायपूर्ण बंटवारा करना हो तो रावी व्यास के साथ-साथ हरियाणा को यमुना नदी के पानी का भी हिसाब लगाकर पंजाव

और हरियाणा को कानून के आधार पर बाँटा जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं किया गया। 1966 में एक कानून बनाकर केवल रावी-व्यास के 70 लाख एकड़ फुट पानी को पंजाब और हरियाणा में 60-40 के अनुसार बाँटने का निर्णय लिया गया। इसके अनुसार पंजाब का हिस्सा 42 लाख एकड़ फुट रह गया और हरियाणा के हिस्से में 28 लाख एकड़ फुट आया तथा यमुना का सारा पानी भी उसको मिल गया। 1975 में पंजाब का हिस्सा 10 हजार एकड़ फुट और काटकर हरियाणा को दे दिया गया। 1981 में फिर पंजाब के हिस्से में से और पानी काटा गया। इस प्रकार पुनर्गठन से पहले जिस पंजाब को 50 लाख एकड़ फुट पानी मिलता था उसका हिस्सा घटाकर 38 लाख 30 हजार एकड़ फुट कर दिया गया और जिस हरियाणा प्रदेश को 20 लाख एकड़ फुट पानी मिलता था, उसका हिस्सा बढ़ाकर 31 लाख 70 हजार एकड़ फुट कर दिया गया और यमुना का सारा पानी भी उसको मिल गया। अब पंजाब का हिस्सा और घटाकर राजस्थान को पानी दिया गया है। इससे पंजाब के किसान को बहुत नुकसान पहुंचा है।

शिरोमणी अकाली दल की मांग है कि पंजाब की नदियों के पानी के समूचे प्रश्न का फैसला सुप्रीम कोर्ट भारतीय विधानानुसार करे। केन्द्रीय सरकार को पंजाब की नदियों के पानी को और प्रान्तो में बांटने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। विधान की प्रान्तीय सूची के सत्रहवें अंक के अनुसार सिंचाई और बिजली के विभाग प्रान्त की सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं। जितनी देर विधान में संशोधन न किया जाये, पार्लियामेन्ट को इन विभागों को केन्द्र के हाथ देने वाला कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं। पर पंजाब रिऑर्गनाइजेशन ऐक्ट पास करके उसकी 78 और 80 धारा के अधीन केन्द्र ने पंजाब की नदियों के पानी और बिजली को बांटने का अधिकार तथा प्रोजेक्टों और बांधों का कन्ट्रोल पंजाब से छीनकर अपने हाथ में ले लिया। इसके विपरीत यमुना के पानी और उससे सम्बन्धित प्रोजेक्टों तथा बांधों का प्रबन्ध हरियाणा सरकार के अधिकार में रहने दिया।

पंजाब के साथ पानी के सम्बन्ध में जो सरासर धोखा हो रहा है वह समाप्त करने का एक ही उपाय है कि सुप्रीम कोर्ट रिऑर्गनाईजेशन ऐक्ट की 78 और 80 धाराएं रद्द कर दे। यहां यह स्पष्ट है कि कमीशन या ट्रिब्यूनल बनाने से यह समस्या हल नहीं हो सकती। क्योंकि उपर्युक्त धाराओं को रद्द करने

का अधिकार इन कमीशनों या ट्रिब्यूनलों को प्राप्त नहीं हो सकता, यह केवल अदालत ही कर सकती है।

अकाली सरकार के समय एक मुकद्दमा विधान की 131 धारा के अधीन किया गया था जिसमें इन गैर वैधानिक धाराओं को रद्द करने और पंजाब को पानी की समस्या में इंसाफ दिलवाने का अनुरोध किया गया था। पर 1980 में कांग्रेस सरकार के आने के बाद यह मुकद्दमा पंजाब सरकार ने वापिस ले लिया और 31 दिसम्बर 1981 को प्रधान मन्त्री ने पानी के बंटवारे सम्बन्धी भेदभाव से भरपूर एकपक्षीय ऐलान कर दिया। अकाली दल इस ऐलान को कदापि मानने के लिए तैयार नहीं। उसकी मांग है कि पिछले सारे सरकारी फैसले रद्द करके पानी की समस्या को देश की सुप्रीम कोर्ट विधानानुसार सुलझायें

सिक्ख एक अलग कौम है

कौम अरबी भाषा का शब्द है, जिसके अर्थ 'एक नस्ल', 'एक वर्ग', 'एक फिरका' या 'एक कबीला' इत्यादि किये जाते हैं। कौम शब्द का अंग्रेजी अनुवाद नेशन है और 'इंसाईक्लोपीडिया आँफ सोशल सांइसिज' में इस शब्द की उत्पत्ति (Nasci) धातु से बताई जाती है जिसका अर्थ "पैदा होना" है। इस प्रकार नेशन का अर्थ एक स्थान पर पैदा हुए 'मनुष्यों का समूह' बनता है। आमतौर पर विद्वानों की इस बात पर सहमति है कि कौम या नेशन उस मानवी समूह को कहा जाता है जो किसी एक इलाके के निवासी हों, जिनकी सभ्यता सम्बन्धी पृष्ठभूमि एक हो, जिनका इतिहास एक हो, जिनमें बोली और रहन-सहन की एकता हो और जो किसी एक राज्य के प्रबन्ध के अधीन रहते हों।

भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रसिद्ध डॉ० राधाकृष्णन के कथाननुसार—कौम एकमात्र जनसमूह का संगठन नहीं, बल्कि कौम उस समाज का नाम है, जिसके सदस्यों के मन और आत्माओं में परस्पर गहरी समानता हो। गुरू गोबिन्द सिंह जी ने जिस खालसा पंथ का सृजन किया था, उसकी नींव में इसी मानसिक और आत्मिक साझेदारी का अद्भुत सांमजस्य काम कर रहा है। प्रसिद्ध इतिहासकार गोकुल चन्द नारंग ने अपनी पुस्तक–"ट्रांसफार्मेशन आँफ सिक्खिज्म" में एक अध्याय का शीर्षक यह रखा है "Gobind Creates a Nation' अर्थात् गुरू गोबिन्द सिंह ने एक कौम पैदा की है। इसी पुस्तक में एक स्थान पर उन्होंने लिखा है कि गुरु गोविन्द सिंह ने सिक्खों की कौमी भावनाओं को

धर्म के रुप में बदल दिया और उनकी कौमियत को ही उनका धर्म बना दिया।

सिक्ख धर्म की नीव गुरु नानक देव जी ने रखी और गुरु गोबिन्द सिंह जी ने इसको पूर्ण रूप प्रदान किया तथा खालसा पंथ एक धर्म के साथ-साथ एक विलक्षण सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक संगठन के रूप में उभर कर सामने आया। एक बात स्पष्ट है कि सिक्खों के धार्मिक रहन-सहन, सामाजिक रस्मों-रिवाज, सांस्कृतिक व्यवहार और विचारधारा के प्रेरणा स्रोत्र हिन्दुस्तान में बसती और कौमों से भिन्न हैं, इसलिए इन विलक्षण विशेषताओं के आधार पर सिक्ख अपने आप को एक अलग कौम कहते हैं। तथा, अपनी आजाद हस्ती के अलम्बरदार हैं। हिन्दुस्तान के अतिरिक्त विश्व में और बहुत सारे देशों में भी अलग-अलग विश्वासों से सम्पन्न कौमें बसती हैं और उनको कौम का दर्जा प्राप्त है। रूस में अर्मीनियन भाव ईसाई, आजरबाईजानियन का भाव मुसलमान, उज्बेक, कज्जाक इत्यादि कौमें इसी प्रकार बसती हैं।

यह बात यहां स्पष्ट करनी आवश्यक है कि लगभग सारे सिक्ख लीडर बार-बार यह कह चुके हैं, कि अगर सिख अपने आप को कौम मानते हैं तो उसका यह अर्थ नहीं कि वे भारत से अलग होना चाहते हैं या वे भारतीय नहीं हैं। बल्कि, इतिहास के तथ्य इस बात के गवाह हैं कि भारत की आज़ादी के विकास में जितना सिख कौम का हिस्सा है, उतना बाकी सभी कौमों का कुल मिलाकर भी नहीं है। वास्तव में भारत एक बहु राष्ट्रीय देश है तथा इसमें बहुत सी कौमें हैं जो भारतीय होने के नाते सहअस्तित्व की भावना से एक दूसरे से प्यार और सम्मान कायम रखने के कारण एक हदबन्दी के अन्दर निश्चित क्षेत्र में बसती हैं। संविधान की 25वीं धारा में संशोधन का आग्रह भी इसी मांग की एक कड़ी है।

उपर्युक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि सिक्खों का अलग और आज़ाद अस्तित्व है तथा वह एक अलग कौम है। यह भी स्पष्ट है कि विधान में परिवर्तन करके सिक्खों को अलग कौम के रूप में मान्यता देने की मांग ही सिक्खों की व्यापक और वास्तविक मांग है तथा सारी सिक्ख कौम इस मांग की डटकर समर्थक है।

उपरोक्त सारे विवरण के बाद अब किसी सन्देह की गुंजाइश नहीं रह जाती कि सिक्खों की सारी मांगें संवैधानिक हैं तथा न्याय पर आधारित हैं। इन मांगों की पूर्ति से जहां सिक्खों की संतुष्टि होती है और पंजाब को लाभ होता है वहां सारे भारत के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है।

अकाली दल ने लाखों की गिनती में गिरफ्तारियां देकर' 200 के करीब सिक्ख शहीद करवाकर, 'रास्ता रोको', 'रेल रोको', 'काम रोको' तथा कई और प्रयत्नों से सरकार को झकझोर दिया है तथा सिक्खों की राजनीतिक ताकत और धार्मिक दृढ़ता से जानकारी करवाई है। सिक्ख विद्यार्थी और प्रौफैसर, वकील और डॉक्टर, जज और जरनैल, किसान और व्यापारी, की बात क्या हर श्रेणी के सिक्ख अब अपने हितों की रक्षा के लिए हर संघर्ष में जी जान से अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं।

यह भी स्पष्ट है कि अकाली दल का सम्पूर्ण संघर्ष संवैधानिक, प्रजातांत्रिक, शांतिपूर्ण उपायों पर आधारित है और इस सफलता का सारा श्रेय मोर्चे के डिक्टेटर संत हरचंद सिंह लौंगोवाल, प्रधान शिरोमणी अकाली दल की दूरदृष्टि और सुलझे हुए नेतृत्व को जाता है।

अब भी समय है कि भारत सरकार पंजाब में सिक्खों के विरुद्ध किये दमन-चक्र को समाप्त करे और संकीर्ण तथा निजी राजनैतिक हितों के पीछे पंजाब को तथा समूचे भारतवर्ष को बरबाद होने से बचा ले। पुलिस और फौजी ताकतें लोगों की आवाज को नहीं कुचल सकतीं। तशद्दद से तशद्दद ही उभरता है। हम अब भी केन्द्रीय लीडरशिप से समझदारी की कामना करते हैं।

समय की मुख्य आवश्यकता है कि भारत सरकार मौके की नजाकत को समझे और सिखों की भावनाओं के अनुसार उनकी न्यायपूर्ण मांगों को बिना और अधिक देर किए मान ले। नहीं तो वह दिन दूर नहीं कि सिखों का वैधानिक उपायों पर से विश्वास उठ जायेगा।

निवेदन

पंजाब की कुछ उचित संवैधानिक और न्यायपूर्ण मांगों का न स्वीकार किया जाना ही पंजाब की समस्या का मूल कारण है। कुछ राजनीतिक शक्तियाँ अपने स्वार्थ के लिए सरकारी साधनों द्वारा आम जनता का ध्यान अकाली दल की न्यायोचित माँगों से हटाकर, साम्प्रदायिकता का वातावरण पैदा करके और देश की एकता और अखण्डता को खतरे का शोर मचा कर, अपनी ओर खींचना चाहती है।

भारत की आज़ादी और विकास में जितना हिस्सा सिक्ख कौम का है उतना शायद बाकी सभी कौमों का कुल मिला कर भी नहीं है। पर अफसोस की बात है कि जिस सिक्ख कौम ने देश को आत्मनिर्भर बनाने में सबसे अधिक योगदान दिया है, सरकार उसकी न्यायोचित और संवैधानिक माँगें मानने के लिए तैयार नहीं है।

हर भारतवासी को इस नाजुक स्थिति में समस्या को सही परिपेक्ष्य देकर इसको सुलझाने में पूर्ण सहयोग देना चाहिए।

प्रो० जसपाल सिंह "सदस्य"
—दिल्ली सिक्ख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी
—कार्यकारिणी दिल्ली, शरोमणी अकाली दल श्री अमृतसर

प्रो० अजायब सिंह कनवीनर दिल्ली स्टेट अकाली दल ने 25-2-84 को प्रैस से छपवाकर १३, विसम्भर दास मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित किया।